न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर (14)

मुकदमा नम्बर......94....../2017-18 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवानः– राज्य सरकार बनाम सत्यनारायण

निर्णय

दिनांकः–27/3/18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गुंसाईसर ......अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि है कि गैर सायल सत्यनारायण पुत्र/पत्नि श्री गोविन्ददास ......जाति बैरागी ......निवासी गुंसाईसर द्वारा ग्राम गुंसाईसर ......के अराजी खसरा नम्बर 491 तादादी 19.13 हैक्टेयर किस्म भूमि गै.मु. पायतन भूमि में से 5.06 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् 2074 में नाजायज बाड़ा बनाकर ......अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अत इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल द्वारा निम्ना जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने जवाब नोटिस मे लिखा है कि ख.नं. 491 मे गौशाला संचालित बीआर बीघे मेरा कोई निजी कब्जा नहीं है उक्त बीजोंच ILR हल्का से करवाई जाने पर अतिक्रमी के स्वयं का कब्जा किया हुआ साबित हुआ है।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर बाड़ा बनाकर ......अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल सत्यनारायण ......का उक्त खसरा नम्बर 491 ......तादादी 19.13 ......हैक्टेयर गै.मु. पायतन ......भूमि में से 5.06 ......हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। अतः गैर सायल सत्यनारायण ......अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल सत्यनारायण ......पुत्र/पत्नि श्री गोविन्ददास ......जाति बैरागी ......निवासी गुंसाईसर ......को ग्राम गुंसाईसर ......के खसरा नम्बर 491 ......तादादी 19.13 ......हैक्टेयर गै मु पायतन भूमि में से 5.06 ......हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् 2074 ......का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 5.06 ...... रूपये का 50 गुणा से 253-00 ...... रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.3.18 ...... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजिलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज.